

सबसे महत्वपूर्ण नियम व शर्तें

संस्करण 1.3

1. शुल्क व प्रभार

A. कार्ड धारक द्वारा क्रेडिट कार्ड पर देय शुल्क

प्रत्येक कार्ड धारक तथा एक प्रस्ताव से दूसरे प्रस्ताव के लिए शुल्क भिन्न-भिन्न हो सकता है. क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय कार्ड धारक को यह बात बता दी जाती है. यथा लागू उपर्युक्त शुल्क की बिलिंग कार्ड खाते से की जाती है तथा जिस महीने में इसे प्रभारित किया जाता है उस महीने के कार्ड विवरण में इसका उल्लेख किया जाता है.

B. नकद अग्रिम

लागू नहीं.

C. प्रभार

- (i) कार्ड धारक को एचडीएफसी बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशिष्ट सेवाओं के लिए या अपने कार्ड खाते के संदर्भ में कार्ड धारक द्वारा की गई चूकों के लिए कार्ड धारक द्वारा समय-समय पर यथा लागू प्रभार तथा शुल्क देय होंगे.
- (ii) एचडीएफसी बैंक ग्राहक को उचित सूचना के साथ समय-समय पर किसी भी प्रभार या शुल्क में परिवर्तन करने नए प्रभार या शुल्क का प्रचलन करने, जैसा वह उचित समझे, का अधिकार रखता है.

2. ब्याज मुक्त अवधि

परचेस कार्ड्स: विशिष्ट क्रेडिट कार्ड पर लागू योजना (कृपया प्रभार तालिका का संदर्भ लें) तथा विक्रेता द्वारा दावों की प्रस्तुति के विषयाधीन ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 15 से 50 दिनों के बीच हो सकती है. तथापि, यह लागू नहीं होगी यदि पिछले विवरण की शेषराशि पूरी तरह से नहीं चुकाई गई है.

उदाहरण के लिए, एचडीएफसी बैंक परचेस कार्ड की ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 45 दिनों तक होती है. इसका मतलब यह है कि जिस ग्राहक की बिलिंग की तिथि महीने की 5 तारीख को होती है वह अपने कार्ड

पर 6 अप्रैल से लेकर 5 मई तक खर्च कर सकता है, उसका बिल 5 मई को जारी किया जाएगा और उसके भुगतान की अंतिम तिथि 20 मई होगी. इसलिए 11 अप्रैल को की गई खरीदारी के लिए क्रेडिट अवधि 40 दिनों की होगी जबकि 2 मई को की गई खरीदारी के लिए क्रेडिट मुक्त अवधि 19 दिनों की होगी. यह अवधि केवल तभी ब्याज मुक्त होगी यदि पिछली सभी देयताओं का पूर्ण भुगतान कर दिया गया होगा.

युटिलिटी कार्ड के लिए, विक्रेता द्वारा दावों की प्रस्तुति के विषयाधीन ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 10 से 40 दिनों के बीच हो सकती है. तथापि, यह लागू नहीं होगी यदि पिछले विवरण की शेषराशि पूरी तरह से नहीं चुकाई गई है.

3. सीमाएँ

एचडीएफसी बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर कॉर्पोरेट / कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा और नकदी आहरण की सीमा निर्धारित करेगा. कार्ड धारक को कार्ड दिए जाने के समय तथा समय-समय पर विवरणों में इन सीमाओं की सूचना दी जाती है. जो कॉर्पोरेट अपनी क्रेडिट सीमा में वृद्धि करवाना चाहते हैं वे बैंक को लिखकर तथा प्रासंगिक वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध करवाकर ऐसा कर सकते हैं. बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर तथा उपलब्ध करवाए गए नए दस्तावेजों के आधार पर कार्ड धारक की क्रेडिट सीमा बढ़ा सकता है.

4. वित्त प्रभार

A. कार्ड धारक द्वारा अपनी पूरी शेषराशि का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनने की स्थिति में, लेन-देन की तिथि से मासिक प्रतिशत की दर (कृपया प्रभार तालिका का संदर्भ लें) से वित्त प्रभार देय होंगे. कार्ड पर बकाए का पूरा भुगतान न हो जाने तक वित्त प्रभार कार्ड धारक के खाते से लिया जाता है.

B. परचेस कार्ड / युटिलिटी कार्ड पर देय न्यूनतम

धनराशि देय कुल धनराशि का 100% है।

- C. कॉर्पोरेट संस्थान को जारी सभी परचेस कार्ड और/या युटिलिटी कार्ड अगले विवरण की तिथि तक पूरा भुगतान न प्राप्त होने की स्थिति में अवरुद्ध कर दिए जाएंगे।
- D. विलंब भुगतान प्रभार लागू होगा यदि भुगतान की अंतिम तिथि तक देय न्यूनतम धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है, विलंब भुगतान प्रभार से बचने के लिए भुगतान की अंतिम तिथि को या पहले क्लियर फंड एचडीएफसी बैंक कार्ड खाते में जमा किया जाना चाहिए, विलंब भुगतान प्रभार इस प्रकार लागू होंगे :

विवरण शेष	विलंब भुगतान प्रभार
₹100/- से कम	- शून्य,
₹100/- से ₹500 तक	- ₹100/-,
₹501/- से ₹5000/- तक	- ₹400/-,
₹5001/- से ₹10000/- तक	- ₹500/-,
₹10,001/- से ₹20000/- तक	- ₹500/-,
	(₹700/- - 1 जनवरी 2018 से प्रभावी)
₹20001/- और अधिक	- ₹700/-

- E. क्रेडिट सीमा से अधिक कुल बकाया पर अधिसीमा धनराशि के 2.5% की दर से अधिसीमा प्रभार लागू होगा, जो न्यूनतम ₹500/- के अधीन है।

निम्नलिखित उदाहरण विभिन्न शुल्कों की गणना करने की विधि दर्शाता है।

मान लीजिए कि आपने अपनी पिछली सारी देयताओं का पूरा भुगतान कर दिया है और आपके कार्ड खाते में कोई बकाया धनराशि नहीं है। आपकी विवरण तिथि प्रत्येक माह की 05 तारीख है। अपने कार्ड खाते पर आपने जो लेनदेन किए हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है।

दिनांक	लेनदेन का विवरण	धनराशि
02 अप्रैल	सामान की खरीददारी	₹10000/-

05 अप्रैल	विवरण तिथि	कुल देय धनराशि (टीएडी)= ₹10,000/- (न्यूनतम देय धनराशि देय कुल धनराशि का 100% है)
20 अप्रैल	भुगतान देय तिथि	-
25 अप्रैल	सामान की खरीददारी	₹20000/-
05 मई	कंपनी को जारी किए गए सभी कार्ड अवरुद्ध कर दिए जाएंगे, यदि टीएडी (इस मामले में ₹10,000/- का) प्राप्त नहीं होता है।	

विवरण तिथि 05 मई को निम्नलिखित देय कुल धनराशि के घटकों के रूप में परिलक्षित होगी:

गणना किया गया ब्याज = (बकाया धनराशि X 2.95%* X 12 महीने X दिनों की संख्या) / 365. लागू विलंब भुगतान प्रभार, ₹5000/- तक की विवरण शेषराशि के लिए ₹400/-, ₹5001/- और ₹20000/- के बीच की विवरण शेषराशि के लिए ₹500/-, ₹20000/- से अधिक की विवरण शेषराशि के लिए ₹700/- होगा

(1) 6 अप्रैल से 5 मई (यानी 30 दिनों के लिए) 2.95% प्रति माह की दर से ₹10000/- पर ब्याज = ₹290.96/-

(2) 25 अप्रैल से 5 मई (यानी 11 दिनों के लिए) 2.95% प्रति माह की दर से ₹20000 पर ब्याज = ₹213.37/- कुल ब्याज = ₹290.96/- + ₹213.37/- = ₹504.33/-

(3) विलंब भुगतान प्रभार = ₹600/-

- (4) ब्याज तथा विलंब भुगतान प्रभार पर 14% की दर से सेवा कर, स्वच्छ भारत उपकर 0.5% और 0.5% की दर से कृषि कल्याण उपकर = ₹165.65/-
- (5) कुल बकाया मूल धनराशि = ₹20000/- (नवीन व्यय) + ₹10000/- (पिछले विवरण की बकाया शेषराशि) = ₹30000/- इसलिए, कुल देय धनराशि = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) = ₹31269.98/-

ध्यान रखें:

वित्त प्रभार तथा अन्य प्रभार एचडीएफसी बैंक के विवेकानुसार परिवर्तनीय हैं.

यदि कार्ड धारक खाते की क्रेडिट सीमा को पार करता है तो खाते पर अधिसीमा प्रभार लगाया जाएगा, विशिष्ट स्थितियों में लगाए जा सकने वाले प्रभारों की सूची के लिए, कृपया इस दस्तावेज के अंत में उपलब्ध प्रभार तालिका देखें.

5. बिलिंग और विवरण

- A. एचडीएफसी बैंक कार्ड धारक / कॉर्पोरेट को पिछले विवरण के बाद से कार्ड धारक के खाते में क्रेडिट किए गए भुगतानों तथा डेबिट किए गए लेनदेनों को दर्शाने वाला आवधिक विवरण भेजेगा. बैंक के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार डाक पते/ई-मेल पते पर बैंक समय-समय पर कार्ड खाते में किए गए लेनदेनों का विवरण भेजेगा/ई-मेल करेगा. यदि बकाया शेषराशि ₹200/- से कम होगी तथा पिछले विवरण के बाद से आगे का कोई भुगतान लंबित नहीं होगा तो कोई विवरण जारी नहीं किया जाएगा.
- B. परचेस कार्ड: भुगतान की देय तिथि उक्त विवरण की तिथि के 15 दिन उपरांत है. उदाहरण के लिए भुगतान की देय तिथि महीने की 20 तारीख होगी यदि विवरण महीने की 5 तारीख को जारी किया गया है.

यूटिलिटी कार्ड: भुगतान की देय तिथि विवरण की तिथि के 10 दिन उपरांत है. उदाहरण के लिए भुगतान की देय तिथि महीने की 30 तारीख होगी यदि विवरण महीने की 20 तारीख को जारी किया गया है. ध्यान

रखें: यूटिलिटी कार्ड के विवरण हर 20 दिन पर जारी किया जाएगा और इसलिए 10 दिनों की भुगतान की देय तिथि होगी.

- C. यह सनिश्चित करने के लिए कि भुगतान की देय तिथि के भीतर कार्ड के खाते में भुगतान परिलक्षित हो, कार्डधारकों / कॉर्पोरेट्स को भुगतान की देय तिथि से काफी अग्रिम में स्थानीय चेक छोड़ने की सलाह दी जाती है.

ध्यान रखें: अगले विवरण की तिथि तक पिछले विवरण की शेषराशि का पूरा भुगतान न प्राप्त होने की स्थिति में कॉर्पोरेट संस्थान को जारी सभी परचेस / यूटिलिटी कार्ड अवरुद्ध कर दिए जाएंगे.

- D. कार्ड के बकाए के प्रति किए गए भुगतान अनुवर्ती विवरणों में अभिस्वीकृत किए जाते हैं.
- E. कार्ड धारक के कार्ड बकाया के प्रति प्राप्त भुगतान सभी करों, शुल्कों और अन्य प्रभारों, ब्याज प्रभारों, नकदी अग्रिम तथा खरीददारियों के प्रति उक्त क्रम में समायोजित किए जाएंगे.
- F. निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से कार्ड खाते में भुगतान किया जा सकता है:
- (i) एचडीएफसी बैंक शाखाओं तथा एटीएम में रखे गए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ड्रॉप बॉक्स में भुगतान विलेख (चैक या ड्राफ्ट) डालकर. चैक/ड्राफ्ट एचडीएफसी बैंक कार्ड नं. XXXX XXXX XXXX XXXX के पक्ष में देय होना चाहिए.
- (ii) यदि कार्ड धारक का एचडीएफसी बैंक में खाता है तो वह स्थाई अनुदेश सुविधा का विकल्प चुन सकता है जहां से धनराशि देय तिथि को कार्ड धारक के कार्ड खाते में स्वतः अंतरित हो सकती है.
- (iii) यदि कार्ड धारक का एचडीएफसी बैंक में खाता है तो वह नेटबैंकिंग, एटीएम या फोन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकता है.
- (iv) बैंक शाखाओं में नकद भुगतान के माध्यम से.
- G. बिलिंग विवाद: यदि कार्ड धारक विवरण की तिथि के

- 60 दिनों के भीतर लिखित में विसंगतियों की सूचना एचडीएफसी बैंक को नहीं देता है तो विवरण की समस्त सामग्री को सही तथा स्वीकृत माना जाएगा। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर एचडीएफसी बैंक जांच को लंबित रखते हुए अस्थाई आधार पर प्रभार का प्रत्यावर्तन कर सकता है। अनुवर्ती जांचों के पूरा हो जाने पर यदि इन प्रभारों का दायित्व कार्डधारक के खाते पर जाता है, तो प्रभार का संबद्ध पुनःप्रापण अनुरोध प्रभार सहित अनुवर्ती विवरण में फिर से उल्लेख किया जाएगा।
- H. संपर्क विवरण: कार्ड धारक कोई भी पूछताछ करने या किसी भी शिकायत के समाधान के लिए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से संपर्क कर सकता है:
- 24 घंटे ग्राहक सेवा कॉल सेंटर के माध्यम से – इस दस्तावेज के अंत में और मासिक विवरण के पीछे फोन नंबरों की विस्तृत सूची उपलब्ध है।
 - ई-मेल द्वारा corporateassist@hdfcbank.com
 - मेल के माध्यम से – प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक कार्ड्स डिविज़न, पी.ओ. बॉक्स 8654, तिरुवनमयूर, पी.ओ. चेन्नई – 600 041.
6. चूक (डिफॉल्ट)
- चूक की स्थिति में कार्ड खाते पर किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए कार्ड धारक/कॉर्पोरेट को समय-समय पर डाक, फैंक्स, टेलीफोन, ई-मेल, एसएमएस संदेश द्वारा अनुस्मारक भेजे जाएंगे तथा/या याद दिलाने, अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा ऋण की वसूली करने के लिए तृतीय पक्ष की सहायता ली जाएंगी। इस प्रकार नियुक्त की गई कोई भी तृतीय पक्ष ऋण की वसूली पर आचार संहिता का पूरा पालन करेगा।
7. ग्रहणाधिकार
- यदि बैंक द्वारा माँगे जाने पर कार्ड खाते पर शेषराशि का निर्धारित समय सीमा के भीतर पुर्नभुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक के पास किसी भी समय और बिना सूचना दिए कॉर्पोरेट से संबंधित, बैंक के किसी भी खाते/अभिरक्षा में उनकी जो भी जमा हो, समस्त धन अलग रखने का ग्रहणाधिकार तथा अधिकार होगा।
8. कार्ड धारकता का समापन / प्रतिसंहरण
- A. कॉर्पोरेट का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता टुकड़ों में तिरछे काटे गए कार्ड के साथ निम्नलिखित पते पर एचडीएफसी बैंक को लिखकर किसी भी समय कार्ड धारकता समाप्त कर सकता है: "प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड संभाग, पी.ओ. बॉक्स 8654, तिरुवनमयूर पी.ओ., चेन्नई – 600 041. समापन काटे गए कार्ड तथा कार्ड खाते में बकाया समस्त धनराशियों का भुगतान कर दिए जाने पर ही प्रभावी होगा।
- B. यदि बैंक उचित रूप से विश्वास करता है कि यह व्यवसायिक या सुरक्षा कारणों से आवश्यक है तो एचडीएफसी बैंक पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी समय क्रेडिट कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित, समाप्त अथवा निलंबित कर सकता है। यदि कॉर्पोरेट देय भुगतान में चूक करता है या बढ़ाई गई क्रेडिट सीमा से ऊपर चला जाता है तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर सुविधा निलंबित कर सकता है। करार समाप्त हो जाने के बाद या यदि कार्ड खाता निलंबित कर दिया गया है तो कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- C. ऐसी स्थिति में, कॉर्पोरेट को (किसी चूक या विधि द्वारा अपेक्षित अन्य सूचनाओं के विषयाधीन) एचडीएफसी बैंक को तत्काल कुल बकाया शेषराशि का भुगतान करना होगा। इसमें अभी तक खाते पर नहीं प्रभारित समस्त लेनदेन तथा अन्य धनराशियों सहित करार के अन्तर्गत एचडीएफसी बैंक को देय सभी धनराशियां शामिल हैं। कॉर्पोरेट द्वारा देय ऐसी सभी धनराशियों का भुगतान न होने तक कार्ड को बंद नहीं माना जाएगा।
- D. क्रेडिट कार्ड पर किसी भी धोखाधड़ी भरे लेनदेन की स्थिति में उत्पन्न होने वाला दायित्व सुरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के विवेक पर कार्ड धारकों द्वारा एक वैकल्पिक बीमा उत्पाद का लाभ उठाया जा सकता है। अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और ऐसे बीमा कवर के नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक के हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें।
9. कार्ड का खोना / चोरी होना / या दुरुपयोग होना
- A. कार्ड धारक / कॉर्पोरेट को तुरंत 24 घंटे कार्यरत कॉल

सेंटर को सूचित करना चाहिए यदि क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा है, खो गया है, चोरी हो गया है, विकृत हो गया है, तय समय पर नहीं मिला है, या यदि उसे संदेह है कि क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कार्ड धारक / कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना किया जा रहा है। एक बार कार्ड के खो जाने की सूचना दे देने के बाद, यदि बाद में कार्ड धारक / कॉर्पोरेट को मिल भी जाता है, तो भी किसी भी स्थिति में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

- B. कार्ड खो जाने की सूचना देने से पहले कार्ड खाते पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है और इसके लिए कार्ड धारक / कॉर्पोरेट पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक द्वारा खो जाने की उचित सूचना की प्राप्ति के बाद ही कार्ड धारक / कॉर्पोरेट का अनुवर्ती दायित्व शून्य होगा। कार्ड के खो जाने या चोरी हो जाने के बारे में एचडीएफसी बैंक को अधिसूचित करने के आलावा, कार्ड धारक / कॉर्पोरेट को पुलिस को कार्ड के खोने या चोरी हो जाने की सूचना अवश्य देनी चाहिए तथा एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए।
- C. कार्ड धारक / कॉर्पोरेट की सहमति से पिन या कार्ड प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड के दुरुपयोग की स्थिति में समस्त हानियों के लिए कार्ड धारक / कॉर्पोरेट ही उत्तरदायी होगा।
- D. कार्ड धारक / कॉर्पोरेट ने यदि कदाचारपूर्ण ढंग से कार्य किया है तो कार्ड धारक / कॉर्पोरेट होने वाली सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा।
- E. एचडीएफसी बैंक कार्ड धारक / कॉर्पोरेट को बताए बिना पुलिस या अन्य प्रासंगिक प्राधिकारियों को कोई भी ऐसी जानकारी दे सकता है जिसे एचडीएफसी बैंक कार्ड या पिन के खो जाने, चोरी होने या दुरुपयोग के संबंध में प्रासंगिक मानता है।

10. शिकायत प्रकोष्ठ

बैंक से हाल ही में किए गए किसी भी संपर्क से प्राप्त उत्तर से संतुष्ट न होने की दुर्लभ स्थिति में आप हम तक पहुँच सकते हैं - प्रबंधक, एचडीएफसी बैंक क्रेडिट

कार्डप्रभाग, पी. ओ. बॉक्स 8654, तिरुवनमयूर पी.ओ., चेन्नई- 600 041; फोन: 044-23744704 सोमवार से शुक्रवार 9.30 बजे सुबह से शाम 5.30 बजे तक.

11. प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट स्वीकार करता है कि विद्यमान व्यवसायिक प्रथाओं के अनुसार, बैंक ग्राहक को कोई सूचना दिए बिना किसी भी क्रेडिट ब्यूरो (विद्यमान या भावी) से समय-समय पर क्रेडिट कार्ड (कार्डों) से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत है। क्रेडिट इन्फोर्मेशन ब्यूरो ऑफ इन्डिया लि. (सीआईबीआईएल) वित्तीय प्रणाली के कामकाज तथा स्थायित्व में सुधार लाने हेतु भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की एक पहल है। इस पहल में भाग लेने वाले सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के लिए सीआईबीआईएल से ग्राहक की जानकारी साझा करना आवश्यक है। इसे दृष्टिगत रखते हुए हम कार्डधारक को सूचित करना चाहते हैं कि यदि कार्ड अतिदेय हो जाता है तो बैंक 15 दिनों की सूचना के साथ ग्राहक द्वारा की गई क्रेडिट कार्ड (कार्डों) संबंधी चूक से संबंधित किसी भी जानकारी का सीआईबीआईएल तथा किसी अन्य क्रेडिट ब्यूरो (विद्यमान या भावी) से प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत है। कॉर्पोरेट का नाम केवल तभी चूककर्ता की सूची से निकाला जाएगा, जैसा कि बैंक ठीक समझे, यदि कॉर्पोरेट से समस्त बकाया धनराशि वसूल हो जाती है। बैंक को कॉर्पोरेट द्वारा पूरी और अंतिम धनराशि का भुगतान करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर निकासी प्रभावी होगी। कॉर्पोरेट को हम सूचित करना चाहते हैं कि बैंक अपने स्वयं के विवेकानुसार शिकायत संबंधी बातचीत या भुगतान-वसूली-संबंधी बातचीत या कोई अन्य बातचीत, जैसा कि बैंक ठीक समझे, की स्थिति में कॉर्पोरेट तथा बैंक के प्रतिनिधि के बीच होने वाली विशिष्ट बातचीत रिकॉर्ड करेगा।

